

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या ६/विशेष
न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया
कलाप (निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

विशेष परीक्षण संख्या-६०/०५

राज्य प्रति राजू उर्फ विवेक

आदेश

०६.०३.२०२०

अभियुक्त राजू उर्फ विवेक कुमार की ओर से गैर जमानतीय
निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र ४२ब प्रस्तुत किया गया और यह
निवेदन किया गया कि दिनांक २९.०२.२०२० को वह न्यायालय
उपस्थित आया था। चाय पीने हेतु वह बाहर चला गया था, जिस
कारण पुकार के समय वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था,
जिस कारण उसके विरुद्ध एन०बी०डब्लू० जारी हो गया है। उसने
जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त की ओर से
एन०बी०डब्लू० निरस्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना
पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मामले के तथ्य
एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरुद्ध जारी
एन०बी०डब्लू० निरस्त किए जाने का आधार पर्याप्त है। अतः
अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ४२ब स्वीकार किया जाता है।
अभियुक्त द्वारा १,००,०००/- रुपये का निजी मुचलका दाखिल
करने पर उसके विरुद्ध जारी एन०बी०डब्लू० निरस्त किया जाता
है। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या -६/
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,
फतेहपुर।